तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 24/2014 अपील जीसीएमएस नम्बर 2014/00001 श्रीमती सरजू देवी बनाम श्योनारायण	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.02.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप.। वकील रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 श्योनारायण पुत्र श्री झूंथा का देहान्त दिनांक 26.04.2015 को हो गया था। जिसके कायम मुकाम 1/1 धापू देवी पत्नी स्व. श्री श्योनारायण का प्रार्थना पत्र दिनांक 22.07.2015 को अपीलान्ट द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 दिनांक 21.09.2015 को स्वीकार किया गया था। वकील अपीलान्ट ने संशोधित उनवान दिनांक 21.09.2015 से पेश नहीं किया गया है। वकील अपीलान्ट द्वारा लगभग 8 वर्ष से संशोधित उनवान पेश नहीं किया गया है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर होता है कि वकील अपीलान्ट को लगभग 80 बार तारीख पेशी दी गयी है। जिसके पश्चात भी वकील अपीलान्ट द्वारा संशोधित उनवान पेश नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में वकील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 21.09.215 की पालना नहीं की गयी है। अतः अपील अपीलान्ट अदम तकमील में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावें एवं बाद तकमील पत्रावली जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (डॉ0 आरूषी मलिक) संभागीय आयुक्त जयपुर। संभागीय आयुक्त जयपुर	